रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003–05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 47] नई दिल्ली, नवम्बर 24—नवम्बर 30, 2019, शनिवार/ अग्रहायण 3—अग्रहायण 9, 1941

No. 47] NEW DELHI, NOVEMBER 24—NOVEMBER 30, 2019, SATURDAY/ AGRAHAYANA 3—AGRAHAYANA 9, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Pharmaceuticals)

New Delhi, the 27th November, 2019

G.S.R. 355. – In pursuance of sub-section (1) of section 36 of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research Act, 1998, (13 of 1998), the Central Government hereby publishes the following further amendments to the first Statutes of National Institute of Pharmaceutical Education and Research made under section 27 of the said Act by the Board of Governors of the said Institute with the previous approval of the Visitor, namely:-

2. (1) These Statues may be called the National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Amendment) Statutes, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the National Institute of Pharmaceutical Education and Research Statutes (hereinafter referred to as the Statutes), for Statute 9, the following Statute shall be substituted, namely:-

"9. APPOINTMENT OF DIRECTOR

The appointment shall be for a 5 years term, renewable for one more term of 5 years provided that the upper age limit does not go beyond 65 years".

4. In the said Statutes after Statute 12.3, the following Statute shall be inserted, namely:-

"12.4 – RETIREMENT AGE OF PERMANENT EMPLOYEES

(a) Teaching staff (Faculty) shall be superannuated at the end of the month in which he/she attain the age of 65 years.

(b) All the non-faculty staff shall be superannuated at the end of the month in which he/she attains the age of 60 years".

5. In the said Statutes, in Statute 14, in Table II, against the post of Dean, in column (2), in clause (b), for the figures "62", the figures "65" shall be substituted.

[F.No:- 50020/29/2015-NIPER (Pt.)]

RAJNEESH TINGAL, Jt. Secy.

Footnote: - The Principal Statutes were published vide G.S.R. 391 dated the 30th October, 2003 in the Gazette of India, Part-II, section 3, sub-section(i) and last amended vide G.S.R. 433(E) dated 3rd July, 2014 published in the Gazette of India, Part-II, section 3, sub-section(i).

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003–05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 47] नई दिल्ली, नवम्बर 24—नवम्बर 30, 2019, शनिवार/ अग्रहायण 3—अग्रहायण 9, 1941

No. 47] NEW DELHI, NOVEMBER 24—NOVEMBER 30, 2019, SATURDAY/ AGRAHAYANA 3—AGRAHAYANA 9, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(औषध विभाग)

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2019

सा.का.नि.355.—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998 (1998 का 13) की धारा 36 की उपधारा (1) के अनुसरण में राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के शासी बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 27 के अधीन बनाए गए पहले परिनियम में उक्त संस्थान के कुलाध्यक्ष की पूर्व अनुमति किए गए निम्नलिखित और संशोधनों को प्रकाशित करती है, अर्थात् :--

1. (1) इन परिनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) परिनियम, 2019 है।

(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान परिनियम (जिसे इसमें इसके पश्चात् परिनियम कहा गया है) के परिनियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित परिनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"9. निदेशक की नियुक्ति

नियुक्ति पांच वर्ष की पदावधि के लिए होगी, पांच वर्ष की एक और पदावधि के लिए नवीकरण किया जा सकता है, किंतु अधिकतम आयु सीमा पैंसठ वर्ष से अधिक न हो"।

3. उक्त परिनियमों में परिनियम 12.3 के पश्चात् निम्नलिखित परिनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"12.4—स्थायी कर्मचारियों की सेवानिवृत्त आयु

(क) शैक्षिक कर्मचारिवृंद (संकाय), उस माम के अंत में, जिसमें वह पैंसठ वर्ष की आयु का हो जाता है, अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होगा।

(ख) सभी गैर-संकाय कर्मचारिवृंद, उस माम के अंत में, जिसमें वह साठ वर्ष की आयु का हो जाता है, अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होगा"।

4. उक्त परिनियमों में परिनियम 14 में, सारणी में, संकायाध्यक्ष के पद के सामने, स्तंभ (2) में, खंड (ख) में, "62" अंकों के स्थान पर "65" अंक रखे जाएंगे।

[फा.सं. 50020/29/2015-एनआईपीईआर(भाग)]

रजनीश तिंगल, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :– मूल परिनियम सा.का.नि. 391, तारीख 30 अक्तूबर, 2003 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि. 433(अ) तारीख 3 जुलाई, 2014 द्वारा किया गया था, जो भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था।